यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बाराकोट चम्पावत** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बाराकोट चम्पावत** के माह 04/2015 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19-02-2019 से 22-02-2019 तक श्री शशिकांत पाण्डेय वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** आहरण वितरण का अधिकार मिलने के पश्चात इकाई कि यह प्रथम लेखापरीक्षा थी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई द्वारा मुख्यतः 02 एसएडी (I) रेगडू (2) इजरा तथा 10 उपकेंद्र थे। जिनका सभी प्रकार कि चिकित्सकीय सेवाये प्रदान करना था। इकाई द्वारा यूजर चार्जेस, एन° एच° एम°,, जननी सुरक्षा योजना,टीकाकरण , परिवार कल्याण कार्यक्रम, का संचालन किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**समर्पण राशि/ वापसी/ अग्रिम राशि**	**बचत (-) ₹**
	स्थापना ₹	**गैर स्थापना ₹**	**आवंटन ₹**	**व्यय ₹**	**आवंटन ₹**	**व्यय ₹**		
2015-16	00	15.25	211.73	179.39	40.13	40.84	32.34	14.54
2016-17	00	14.54	237.26	190.07	35.09	43.49	47.19	6.14
2017-18	00	6.14	226.82	219.67	26.37	26.06	7.70	5.90
2018-19 (UPTO 01/2019)	00	5.90	259.53	202.59	37.27	20.52	4.40	75.19

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अवशेष	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य(+) ₹	बचत(-) ₹	वापसी/अग्रिम राशि
2015-16	NHM	9.55	36.04	36.00	9.59	------
2016-17	NHM	9.59	34.70	39.22	5.07	-------
2017-18	NHM	5.07	24.85	24.89	4.47	0.56
2018-19 (UPTO 01/2019)	NHM	4.47	36.84	20.36	16.80	4.15

(iii) इकाई का बजट आवंटन गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई को केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं कोषागार मद से धनराशि प्राप्त होती है। इकाई श्रेणी स के अंतर्गत आती है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, महानिदेशक, निदेशक, अपर निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में राष्ट्रीय स्वास्थय मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम, यूजर चार्जेस, औषधि क्रय एवं उनका उपयोग, चिकित्सकीय उपकरणो की खरीद संबंधी लेनदेन की लेखापरीक्षा संपादित की गयी । इकाई के अंतर्गत आच्छादित 02 एसएडी रेगुड़ा एवं इजरा तथा 10 उपकेंद्र के लेखो

कि लेखापरीक्षा की गयी। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराकोट चंपावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 एवं 12/2018को विस्तृत जांच हेतु चयनित का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु 95212/- का अधिक भुगतान।

सातवे वेतन अयोग के शासानादेश स.290/xxxii (7) /2016 dated 28.12.2016 के दिशा निर्देश के बिन्दु स.7 ख (ii) के अनुसार सातवे वेतन अयोग का वेतन निर्धारण 31.12.2015 के प्राप्त वेतन को 2.57 से गुणान करने के बाद वेतन matrix मे तलाशी जायेगी। श्री टी ए उप्रेती (फर्मासिस्ट) की सेवा पुस्तिका की नमूना जांच करने पर यह देखा गया की श्री उप्रेती की वेतन 31.12.2015 को (17290+6600=23890) थी सातवे वेतन अयोग की वेतन निर्धारण करते समय जनवरी 2016 को एक वेतन वृद्धि लगाने के बाद वेतन+ग्रेड (20310+6600=26910*2.57=69158) पर वेतन निर्धारण किया गया। जो की त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण 31.12.2015 से 1.7.2018 तक वेतन एवं भत्तो पर कुल रु.95212 अधिक भुगतान किया गया है। विवरण संलग्न है।

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया कि वेतन निर्धारण की पुनः जाँच कर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है; क्योंकि शासन के आदेश के विपरीत जा कर वेतन निर्धारण किया गया।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु 95212 के अधिक भुगतान का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- नियोक्ता अंशदान रु. 8.08 लाख कर्मिकों के खाते में जमा न किया जाना।

अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कार्मिको के वेतन से वेतन+ ग्रेड+दैनिक भत्ता का 10 प्रतिशत की दर से अंशदान की कटौती नियुक्ति तिथि के अगले माह से अनिवार्य रूप से की जानी चाहिये। योजना के प्रावधान के अनुसार काटी गई अंशदान के बराबर धनराशि राज्य सरकार के द्वारा अंशदान के रूप मे दिये जाने का प्रावधान है,

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थय केंद्र, बराकोट चम्पावत की अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित पास बुक एवं वेतन पंजिका बिल मे (12) अधिकारियों/कर्मचरियों की वेतन से अंशदान की कटौती पास बुक एवं वेतन बिल मे किया जा रहा था। लेकिन कार्मिको को मिलने वाला नियोक्ता अंशदान माह मार्च 2017 से माह जनवरी 2019 तक विगत 23 माह से कुल धनराशि रु. 8.08 लाख खाते मे क्रेडिट नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप राज्य सरकार की देयता बढती जा रही है। विवरण निम्नवत है।

Sr No.	Name of Employs	Designation	Month from 3/2017 to jan 2019	Subscription for Emp	subscription due for Govt	Deposit in the a/C p+GP of 10%	Total Amount due
1.	Shri Kuldeep Rai	Pharmacists	23	76053	0	76053	76053
2.	Shri Naveen Kumar	Pharmacists	23	76598	0	76598	76598
3.	Smt Kiran joshi	Pharmacists	23	76615	0	76615	76615
4.	Mrittunjai Varma	Pharmacists	23	76670	0	76670	76670
5.	Shri Dayal Singh Adhakari	Pharmacists	23	76598	0	76598	76598
6.	Shri shakhar singh sarki	Pharmacists	23	76597	0	76597	76597
7.	Shri Roshan Lal	Pharmacists	23	76598	0	76598	76598
8	Shri Manoj kumar varma	Pharmacists	23	49857	0	49857	49857
9	Dr Junaid qamar	MO	23	91401	0	91401	91401
10	Smt Rashim Tamta	BHW	23	52069	0	52069	52069
11	Smt Prachi Singh	BHW	23	47445	0	47445	47445
12	Shri Suraj kumar	BHW	23	32211	0	32211	32211
			Total=	**808712**		**808712**	**808712**

उक्त प्रकरणों के संबंध मे पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए बताया की आवंटित अकाउंट नंबर विलम्ब से प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार द्वारा मार्च 2017 से अपना अंशदान वेतन में नहीं

किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्मिकों के अंशदान के बराबर धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी चाहिए थी।

अतः नियोक्ता अंशदान रु. 8.08 लाख कार्मिकों के खाते में जमा न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- एच एम योजना के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों का त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन।

केंद्र सरकार द्वारा पोषित एन एच एम योजना के अंतर्गत विभिन्न स्कीम से संबन्धित व्यय विवरण एवं अन्य अभिलेखों की जांच मे निम्न तथ्य पाये गए ।

1- प्रसव एवं आशाओं को किये गये भुगतान का विवरण

	Home Delivery		**Institutional deliveries Rural**				
Year	**Amt. paid to mother @ 500**	**No. of deliveries (inferred)**	**Incentive to Mother @1400**	**No. of deliveries (inferred)**	**Incentive to ASHAs @ 600**	**No. of deliveries (inferred)**	**Total**
2015-16	13000	26	--	--	178800	298	324
2016-17	3500	7	--	--	153600	256	263
2017-18	11000	22	--	--	154500	257.5	279.5
2018-19	2000	4	1400	1	69300	155.5	159.5

Year	**Total no. of institutional deliveries**	**No. of child born in the jurisdiction of PHC, Barakot**	**No. of child not attended by the ASHAs**
1	**2**	**3**	**4 (3-2)**
2015-16	324	446	122
2016-17	263	422	159
2017-18	280	424	144
2018-19	160	263	103

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक कुल 528 प्रसव ऐसे थे जिनका संज्ञान आशा द्वारा नहीं लिया गया । जिसके कारण संबन्धित माताओं को योजना का लाभ नहीं मिला और उक्त प्रसव को संस्थागत प्रसव मे परिवर्तित नहीं किया जा सका।

विनिर्दिष्ट अनुसची के अनुसार जन्म से अगले 42 दिनों तक नवजात शिशुओं को उनके घर में ही जाकर देखरेख हेतु आशाओं को प्रोत्साहित करने के लिये Home Base New Born care (HBNC) की शुरूआत की गई थी।

जिसके अंतर्गत आशाओं को दिये गये प्रोत्साहन का विवरण निम्नवत है।

Year	**Expenditure (@250 to ASHA)**	**No. of child born (inferred)**	**No. of child born**	**No. of child not visited by ASHAs**
2015-16	99750	399	446	47
2016-17	83250	333	422	113
2017-18	80500	322	424	102
2018-19	56000	224	263	39
Total				301

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है की वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक कुल 301 नवजात शिशु ऐसे थे जिनका संज्ञान आशा द्वारा नहीं लिया गया । जिसके कारण संबन्धित शिशुओं को योजना का लाभ नहीं मिला ।

3- टीकाकरण हेतु आशाओं को प्रोत्साहन का विवरण

Year	Expenditure (in first year @100)	Expenditure (upto 2 year @50)	No. of child immunized in first year	No. of child not immunised in 2 year
2015-16	62250	00.00	622	
2016-17	53200	00.00	532	446
2017-18	48000	00.00	480	422
2018-19	32600	19550 (no of child immunised upto 2 year =391)	326	424-391=33
Total				901

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है की वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक कुल 901 शिशु ऐसे थे जिनका संज्ञान आशा द्वारा नहीं लिया गया । जिसके कारण संबन्धित शिशुओं का दूसरे वर्ष मे immunisation का लाभ नहीं मिल सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि संस्थागत प्रसव कराने के प्रयास विभिन्न कार्यक्रम के द्वारा गिया जा रहा है। एच.एस. सी. के अंतर्गत छूटे 301 नवजात शिशुओं एवं टीकाकरम के 901 शिशुओं के संबंध में अवगत कराया कि इस संबंध में आशाओं को उचित दिशा निर्देश देकर सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कीम का लाभ संबंधित वर्ष में पैदा हुए समस्त नवजात को मिले, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संस्थागत प्रसव के आकडों प्रभावी नहीं है क्योंकि 528 प्रसव ऐसे थे जिनका आशाओं द्वारा संज्ञान नहीं किया गया इसके अतिरिक्त जिन शिशुओं को द्वितीय वर्ष में टीकाकरण किया जाना था उनके भी टीकाकरण का लाभ नहीं मिल सका।
अतः एन.एच. एम योजना के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
	आहरण वितरण का अधिकार मिलने के बाद इकाई कि यह प्रथम लेखापरीक्षा थी।		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतुप्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराकोट चंपावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
2. **04/2012 से 03/2015 तक के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसको आगामी लेखा परीक्षा मे दिखाया जाना सुनिश्चित किया गया।**
3. **सतत् अनियमितताएंःशून्य**
4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा0 अभिषेक कुमार सिंह	प्र0 चि0 अधि0	01/04//2015 से 31/12/2017 तक
2.	डा0 जुनैद कमर	प्र0 चि0 अधि0	01.01.2018 से 30.06.2018 तक
3.	डा0 रश्मि पंत	प्र0 चि0 अधि0	01/07/2018 से 30.09.2018
4.	डा0 आर0 पी0 खंडूरी	प्र0 चि0 अधि0	01/10/2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थय केंद्र, बाराकोट चंपावत को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.